न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 123-दो/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.07.2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग भोपाल **प्रकरण** क्रमांक 86/स्व. निगरानी/99-2000

---

1. नीलेश कुमार पिता श्री मांगीलाल अग्रवाल
2. सीमा पत्नी श्री नीलेश कुमार अग्रवाल

निवासी 10/18 यशवंत निवास रोड, इन्दौर (म.प्र) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा
2. उदय जकार्ते पिता श्री अनिल जकार्ते
3. महेशचन्द्र पिता श्री बुद्धुलाल जैन निवासी बासौदा तहसील बासौदा जिला विदिशा म.प्र.
4. श्रीमती सुगन्धीबाई बेवा रामबगस द्वारा मुख्त्यारआम दयाशंकर मिश्रा
5. श्रीमती सरस्वतीबाई मिश्रा पत्नी दयाशंकर मिश्रा निवासी एच.आई.जी. 43 शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी

अनावेदक क्र.1 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता **श्री** अजय चतुर्वेदी,

अनावेदक क्र. 2 तथा तीन के वारिसान की ओर से अधिवक्ता **श्री** पल्लव त्रिपाठी

आदेश

(आज दिनांक 20.09.10 **.....को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 86/स्व. निगरानी/99-2000 में पारित आदेश **दि**नांक 03.07.2001

के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बहलोड तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा नं. 128, 169 रकवा 4.254 हे. एवं खसरा नं. 169 व खसरा नं. 300 रकवा 3.475 हे. भूमि के संबंध में तहसीलदार बासौदा द्वारा नामांतरण पंजी की पृविष्टि क्रमांक 65 पर दिनांक 19.08.93 को पंजीकृत बंटवारा अनुसार सहखातेदारों की सहमति से दाखिला प्रमाणित करते हुए अभिलेख दुरुस्त करने के आदेश दिए। उक्त आदेश के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश का परीक्षण किया गया और उक्त आदेश में त्रुटियां पाई जाने पर तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेते हुए श्री उदय जकार्ते पुत्र अनिल जकार्ते, महेश चन्द्र पुत्र बुद्धूलाल जैन एवं श्रीमती सुगन्धीबाई बेवा रामबक्श द्वारा मुख्त्यार दयाशंकर मिश्रा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त पक्षकारों द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 03.07.01 द्वारा निगरानी मान्य करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2015 को पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित है, क्योंकि नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 19.08.93 एक अपीलीय आदेश है, जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। ना कि पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त के आदेश का अमल वर्ष 2013 तक नहीं किया गया इसी दरम्यान श्रीमती सरस्वतीबाई द्वारा भूमि सर्वे क्र. 129/1 रकवा 1.191 हे. एवं खसरा नं. 169/3/4 रकवा 1.382 हे. कुल रकवा 2.573 हे. का विक्रय आवेदकगण को किया गया, जिस पर उनका विधिवत नामांतरण हो गया था। दयाशंकर मिश्रा द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 03.07.2001 के अमल बावत आवेदन तहसीलदार बासौदा के समक्ष पेश किया गया जिस पर 13.08.2013 को अमल किए जाने के आदेश दिए गए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में लगभग 12 वर्ष उपरांत

राजस्व अभिलेख दुरुस्त किया गया है। उक्त कार्यवाही परिसीमा अधिनियम के बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अमल का आदेश पारित किए जाने से पूर्व तहसीलदार द्वारा आवेदक जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक क्र. 4 के मुख्त्यारआम दयाशंकर मिश्रा द्वारा जिला न्यायाधीश गंजबासौदा के न्यायालय में व्यवहार वाद क्र. 20ए/97 पेश किया गया जो आदेश दिनांक 19.07.99 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील क्र. 121/99 माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.07.2009 को स्वीकार की गई। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश निरर्थक हो जाता है।

4. अनावेदक क्र. 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि यह निगरानी इस न्यायालय में 14 वर्ष उपरांत विलंब से पेश की गई है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के उपरांत क्रय की गई है। अत: निगरानी निरस्त की जाए।

5. अनावेदक क्र. 2 तथा 3 के वारिसानों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर जो बंटवारा आदेश दिनांक 19.08.1993 पारित किया गया है वह सभी सहखातेदारों की सहमति से पारित किया गया है।

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पंजी पर तहसीलदार द्वारा जो बटवारा आदेश पारित किया गया है वह सहमति से पारित किया गया है । तहसील न्यायालय का आदेश अपील योग्य आदेश था जिसके विरूद्ध कोई अपील अनावेदकों द्वारा नहीं की गई है । इस संबंध में न्यायृष्टांत 1988 आर0एन0 265 एवं 1989 आर0एन0 200 एवं 2002 आर0एन0 156 अवलोकनीय है । इन न्यायदृष्टांतों में अपील योग्य आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण योग्य नहीं माना गया है । इस कारण अपर आयुक्तद्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिया जाना विधिसम्मत नहीं है ।

7. अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण प्राइवेट पक्षों के मध्य निजी भूमि से संबंधित है तथा प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि पंजी पर पारित आदेश पक्षकारों द्वारा दुरभिसंधि कर कराया गया था । उपरोक्त स्थिति में आवेदकों का यह तर्क मानने योग्य है कि तहसील न्यायालय के आदेश को 14 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में निगरानी में लेकर निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है। न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम0पी0डब्लू0एन0 नोट 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीन स्थित किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की वैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी से 180 दिन के भीतर ही किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा लगभग 6 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करना विधिसंगत नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश 3-7-2001 निरस्त किया जाता है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर